उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक, 2021
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्याः वर्ष, 2021)

उत्तराखंण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2011) (समय–समय पर यथासंशोधित) को पुनर्जीवित करने एवं उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 (अधिनियम सख्या 28 वर्ष 2020) को निरसित करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित अधिनियम, 2021 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

निरसित अधिनियम का पुनर्जीवित होना

2. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2011) एतद्द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2020) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2020) के निरसन होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत और ऐसा कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता और दायित्व ऐसे जारी रहेगा मानो उक्त अधिनियम निरसित ही न हुआ हो।

....

The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Revival Bill, 2021

[Uttarakhand Bill No. of 2021]

A

Bill

to revive the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011 (Act No. 09 of 2011) (as amended from time to time) and repeal the Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (promotion and Facilitation) Act, 2020 (Act No. 28 of 2020),

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement	**1.**	(1) This Act may be called the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Revival Act, 2021. (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official gazette, appoint.
Revival of repealed Act	**2.**	The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011 (Act No. 9 of 2011) is hereby revived.
Repeal and Savings	**3.**	(1) The Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion & Facilitation) Act, 2020 (Act No. 28 of 2020) is hereby repealed. (2) Notwithstanding the repeal of the Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion & Facilitation) Act, 2020 (Act No. 28 of 2020), the right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act shall continue as if the said Act had not been repealed.

....

Statement of Objects ad Reasons

Whereas the State Government is satisfied that it is necessary to revive the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011 (as amended form time to time) and repeal the Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2020.

2. Proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Subodh Uniyal
Minister.

विधेयक का खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2011) को पुनर्जीवित एवं उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 को निरसित करने मात्र है।

2. विधेयक के खण्ड 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

3. विधेयक के खण्ड 2 में उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2011) को पुनर्जीवित किया जाना प्रस्तावित है।

4. विधेयक के खण्ड 3 में उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2020) को निरसन किया जाना प्रस्तावित है।

सुबोध उनियाल
मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–09 वर्ष 2011) को पुनर्जीवित एवं उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 को निरसित करने मात्र है।

2— प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि में कोई आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय अंतर्निहित नही है।

सुबोध उनियाल
मंत्री

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–09 वर्ष 2011) को पुनर्जीवित एवं उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 को निरसित करने मात्र है।

2. प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र है।

सुबोध उनियाल
मंत्री

उद्देश्य और कारण का कथन

ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के तहत हिमालयन विश्वविद्यालय नाम का ट्रेडमार्क होने एवं हिमालयन विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश व हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल के मध्य हुए समझौते के दृष्टिगत हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री